न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 7/2023

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र – 38/2023

राजस्थान सरकार जरिये, श्री योगेश कुमार मिश्रा प्रवर्तन निरीक्षक, ...प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री कानाराम चौधरी, निवासी ग्राम मोहनगढ, तहसील किशनगढ जिला अजमेर
2. श्री विश्राम जाट पुत्र श्री कालूराम जाट निवासी दगोलाई की ढाणी, अजमेर पुलिस थाना गेगल, अजमेर ....अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार

श्री अशोक जैन अभिभाषक अप्रार्थी0 1 व 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

आदेश

दिनांक– 20.03.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 30.12.2022 को श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर के हमराह अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्लॉट/खसरा नंबर 258 मॉ दुर्गा मार्बल फैक्ट्री के पास, मार्बल रिको एरिया, काली डूंगरी रहीमपुरा रोड, किशनगढ पर श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री कानाराम चौधरी द्वारा जरिये दूरभाष अवैध गैस रिफलिंग की सूचना पर मौके पर पहुँचकर जांच दल द्वारा जांच कार्यवाही गई। मौके पर उपस्थित व्यक्ति श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री कानाराम चौधरी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम मोहनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर द्वारा स्वयं की मार्बल गोदाम का मालिक होना बताया गया। मौके पर श्री रामनारायण चौधरी द्वारा उक्त गोदाम 15 दिवस पूर्व श्री विश्राम जाट को मार्बल कंटिग का कार्य करने के लिए 6000 रूपये मासिक किराये पर दिया जाना बताया गया। जिसका किरायानामा तैयार नहीं होना बताया गया। मौके पर रामनारायण चौधरी द्वारा अपने मोबाइल नंबर 9928338100 से विश्राम जाट के दूरभाष नबंर पर लगातार संपर्क किया गया। दूरभाष पर श्री विश्राम जाट द्वारा मौके पर आने का कहते–कहते फोन स्विच ऑफ कर लिया जाना पाया गया। मौके पर लगभग दो घन्टे तक इंतजार करने के बाद मौका स्थल के हॉल के ताले जिसकी चाबी किरायेदार विश्राम जाट के पास थी को तोड़ने की कार्यवाही गोदाम मालिक श्री रामरानायण चौधरी द्वारा करवाई गई। मौके पर गोदाम हॉल की जांच करने पर पाया गया कि हॉल में एक ओर बिजली से संचालित मार्बल कटिंग मशीन स्थित थी और एलपीजी के कुल 41 सिलेण्डर रखे पाये गए जिनके साथ एक गेस भरने की जुगाड बांसुरी, एक रिंच पाना एवं गैस सिलेण्डरो की 70 कैप एवं टूटी हुई सीले पाई गई। मौके पर पाये गए गैस सिलेण्डरो के पास एक हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाईकिल वाहन संख्या आर.जे.42 एसडी 0589 पाई गई जिसकी सीट पर लगेज कैरियर फीट थी एवं जिसके लोहे के चार हुक लगे हुए थे। उक्त मोटरसाईकिल का प्रथम दुष्टया गैस सिलेण्डर लाने ले जाने के कार्य में प्रयुक्त होना प्रतीत हुआ। मौके पर ही नजदीकी गैस एजेन्सी किशनगढ गैस सर्विस, एचपी, किशनगढ के कार्मिक श्री बाबू खान पुत्र

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

श्री मुंशी खान निवासी नया शहर किशनगढ को बुलवाकर गैस सिलेण्डरो की जांच करने पर हॉल में पाये गए 41 गैस सिलेण्डरो में से 15 घरेलू गैस सिलेण्डर (04 सील्ड एवं 11 अनसील्ड) एवं 26 अनसील्ड व्यावसायिक गैस सिलेण्डर होना पाये गए। मौके पर गैस सिलेण्डरो का प्रमाणित कांटे से वजन करने पर 15 घरेलू गैस सिलेण्डरो में से 05 सिलेण्डर खाली एवं 10 भरे होना पाया गया तथा 26 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरो में से 06 सिलेण्डर खाली एवं 20 सिलेण्डर भरे होना पाया गये उक्त कुल 41 गैस सिलेण्डरो में कुल 377.70 किग्रा एलपीजी भरा होना पाया गया। मौके पर प्रथम दृष्टया घरेलू गैस सिलेण्डरो से बांसुरी जुगाड के माध्यम से व्यावसायिक सिलेण्डरो में गैस रिफलिंग करना प्रमाणित हुआ। अभियुक्तो का यह कृत्य बिना सुरक्षा मानको के गैस रिफलिंग करना मानव जीवन के लिए घोर हानिकारक व जोखिमपूर्ण है, जिसमें किसी बडी दुर्घटना की प्रबल सम्भावना थी। वक्त जांच अवैध गेस रिफलिंग कार्य प्रमाणित पाये जाने पर हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाईकिल वाहन संख्या आर.जे.42 एसडी 0589 को कब्जेराज किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से थानाधिकारी, पुलिस थाना गांधीनगर, किशनगढ को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द की गई तथा मौके पर पाये कुल 41 गैस सिलेण्डर मय 377.70 किग्रा एलपीजी, एक जुगाड बांसुरी, 70 प्लास्टिक कैप एवं टूटी हुई सीले एवं रिंच पाना को कब्जेराज कर श्री बाबू खान, कार्मिक किशनगढ गैस सर्विस किशनगढ को यथा स्थिति सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार श्री विश्राम जाट व अन्य का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 के क्लॉज 4 (1)(a)(b))(c)(d))(2) 6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व 3/8 में दण्डनीय अपराध है। अतः अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुद्वा 41 गैस सिलेण्डर मय 377.70 किग्रा एलपीजी, एक हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाईकिल वाहन संख्या आर.जे. 42 एसडी 0589 एवं एक जुगाड बांसुरी, 70 प्लास्टिक कैप एवं टूटी हुई सीले एवं एक रिंच पाना को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी0 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जरिये अभिभाषक जप्त एक हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाईकिल वाहन संख्या आर.जे. 42 एसडी 0589 को सुपुर्दगीनामा पर छुडाने हेतु सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो पृथक से दर्ज किया जाकर जिला रसद अधिकारी अजमेर से टिप्पणी तलब की गई। सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र को मूल 6 ए प्रकरण के साथ सुनवाई हेतु पेश होने के आदेश दिये गये। सुनवाई चाहने पर उभयपक्ष को मूल 6 ए प्रकरण, मय सुपुर्दगीनाम प्रार्थना पत्र 38/2023 के साथ सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 30.12.2022 को श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर के हमराह अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्लॉट/खसरा नंबर 258 मॉ दुर्गा मार्बल फैक्ट्री के पास, मार्बल रिको एरिया, काली डूंगरी रहीमपुरा रोड, किशनगढ पर श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री कानाराम चौधरी द्वारा जरिये दूरभाष अवैध गैस रिफलिंग की सूचना पर मौके पर पहुॅचकर जांच दल द्वारा जांच कार्यवाही गई। मौके पर उपस्थित व्यक्ति श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री कानाराम चौधरी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम मोहनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर द्वारा स्वयं की मार्बल गोदाम का मालिक होना बताया गया। मौके पर श्री रामनारायण चौधरी द्वारा उक्त गोदाम 15 दिवस पूर्व श्री विश्राम जाट को मार्बल कंटिग का कार्य करने के लिए 6000 रूपये मासिक किराये पर दिया जाना बताया गया। जिसका किरायानामा तैयार नहीं होना बताया गया। मौके पर रामनारायण चौधरी द्वारा अपने मोबाइल नंबर 9928338100 से विश्राम जाट के दूरभाष नबंर पर लगातार संपर्क किया गया।

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

दूरभाष पर श्री विश्राम जाट द्वारा मौके पर आने का कहते–कहते फोन स्विच ऑफ कर लिया जाना पाया गया। मौके पर लगभग दो घन्टे तक इंतजार करने के बाद मौका स्थल के हॉल के ताले जिसकी चाबी किरायेदार विश्राम जाट के पास थी को तोडने की कार्यवाही गोदाम मालिक श्री रामरानायण चौधरी द्वारा करवाई गई। मौके पर गोदाम हॉल की जांच करने पर पाया गया कि हॉल में एक ओर बिजली से संचालित मार्बल कटिंग मशीन स्थित थी और एलपीजी के कुल 41 सिलेण्डर रखे पाये गए जिनके साथ एक गेस भरने की जुगाड बांसुरी, एक रिंच पाना एवं गैस सिलेण्डरो की 70 कैप एवं टूटी हुई सीले पाई गई। मौके पर पाये गए गैस सिलेण्डरो के पास एक हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाईकिल वाहन संख्या आर.जे.42 एसडी 0589 पाई गई जिसकी सीट पर लगेज कैरियर फीट थी एवं जिसके लोहे के चार हुक लगे हुए थे। उक्त मोटरसाईकिल का प्रथम दुष्टया गैस सिलेण्डर लाने ले जाने के कार्य में प्रयुक्त होना प्रतीत हुआ। मौके पर ही नजदीकी गैस एजेन्सी किशनगढ गैस सर्विस, एचपी, किशनगढ के कार्मिक श्री बाबू खान पुत्र श्री मुंशी खान निवासी नया शहर किशनगढ को बुलवाकर गैस सिलेण्डरो की जांच करने पर हॉल में पाये गए 41 गैस सिलेण्डरो में से 15 घरेलू गैस सिलेण्डर (04 सील्ड एवं 11 अनसील्ड) एवं 26 अनसील्ड व्यावसायिक गैस सिलेण्डर होना पाये गए। मौके पर गैस सिलेण्डरो का प्रमाणित कांटे से वजन करने पर 15 घरेलू गैस सिलेण्डरो में से 05 सिलेण्डर खाली एवं 10 भरे होना पाया गया तथा 26 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरो में से 06 सिलेण्डर खाली एवं 20 सिलेण्डर भरे होना पाया गये उक्त कुल 41 गैस सिलेण्डरो में कुल 377.70 किग्रा एलपीजी भरा होना पाया गया। मौके पर प्रथम दृष्टया घरेलू गैस सिलेण्डरो से बांसुरी जुगाड के माध्यम से व्यावसायिक सिलेण्डरो में गैस रिफलिंग करना प्रमाणित हुआ। अभियुक्तो का यह कृत्य बिना सुरक्षा मानको के गैस रिफलिंग करना मानव जीवन के लिए घोर हानिकारक व जोखिमपूर्ण है, जिसमें किसी बडी दुर्घटना की प्रबल सम्भावना थी। वक्त जांच अवैध गेस रिफलिंग कार्य प्रमाणित पाये जाने पर हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाईकिल वाहन संख्या आर. जे.42 एसडी 0589 को कब्जेराज किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से थानाधिकारी, पुलिस थाना गांधीनगर, किशनगढ को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द की गई तथा मौके पर पाये कुल 41 गैस सिलेण्डर मय 377.70 किग्रा एलपीजी, एक जुगाड बांसुरी, 70 प्लास्टिक कैप एवं टूटी हुई सीले एवं रिंच पाना को कब्जेराज कर श्री बाबू खान, कार्मिक किशनगढ गैस सर्विस किशनगढ को यथा स्थिति सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार श्री विश्राम जाट व अन्य का उक्त कृत्य एल.पी. जी. आदेश 2000 के क्लॉज 4 (1)(a)(b))(c)(d))(2) 6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व 3/8 में दण्डनीय अपराध है। अतः अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा 41 गैस सिलेण्डर मय 377.70 किग्रा एलपीजी, एक हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाईकिल वाहन संख्या आर.जे. 42 एसडी 0589 एवं एक जुगाड बांसुरी, 70 प्लास्टिक कैप एवं टूटी हुई सीले एवं एक रिंच पाना को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावे।

जवाब में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने जवाब कथनों को दोहराते हुए मुख्यतः निवेदन किया गया कि उपरोक्त प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्व गलत रूप से दुर्भावना से अप्रार्थी बनाके उसके विरूद्व प्रकरण दर्ज किया गया है। अप्रार्थी रामनारायण का उक्त प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। उक्त वादग्रस्त स्थल को अप्रार्थी रामनारायण द्वारा विश्राम जाट को मार्बल कटिग बाबत 6,000 रूपये मासिक पर किराये पर दिया गया था। अप्रार्थी का उक्त गैस सिलेण्डर से कोई लेना देना नहीं है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व की गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमावे। साथ ही अमरचन्द पुत्र घीसा लाल द्वारा सुपुदर्गी नामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त मोटर साईकल को पुलिस थाने में रखे जाने से मोटर साईकिल जीर्ण क्षीर्ण होने

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

की पूर्ण सम्भावना है और माननीय न्यायालय को उक्त मोटर साईकिल की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः मालिक के नाम मोटर साईकिल सुपुर्दगी नामा पर छोड़े जाने क आदेश फरमावें।

अप्रार्थी 2 जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि। अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध उपरोक्त कार्यवाही गलत, बेबुनियाद एवं दुर्भावना से की गई है जो कि निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी का उपरोक्त सिलेण्डर, बांसुरी, रिन्च, पाना आरी से कोई लेना देना नहीं है ना ही अप्रार्थी उक्त सम्पत्ति का मालिक है। अप्रार्थी उक्त मोटर साईकिल का भी मालिक नहीं है समस्त कार्यवाही निरस्त योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध की गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमावे के आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 30.12.2022 को श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर के हमराह अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्लॉट/खसरा नंबर 258 मॉ दुर्गा मार्बल फैक्ट्री के पास, मार्बल रिको एरिया, काली डूंगरी रहीमपुरा रोड, किशनगढ पर श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री कानाराम चौधरी द्वारा जरिये दूरभाष अवैध गैस रिफलिंग की सूचना पर मौके पर पहुँचकर जांच दल द्वारा जांच कार्यवाही गई। मौके पर उपस्थित व्यक्ति श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री कानाराम चौधरी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम मोहनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर द्वारा स्वयं की मार्बल गोदाम का मालिक होना बताया गया। मौके पर श्री रामनारायण चौधरी द्वारा उक्त गोदाम 15 दिवस पूर्व श्री विश्राम जाट को मार्बल कंटिग का कार्य करने के लिए 6000 रूपये मासिक किराये पर दिया जाना बताया गया। मौके पर गोदाम हॉल की जांच करने पर पाया गया कि हॉल में एक ओर बिजली से संचालित मार्बल कटिंग मशीन स्थित थी और एलपीजी के कुल 41 सिलेण्डर रखे पाये गए जिनके साथ एक गैस भरने की जुगाड बांसुरी, एक रिंच पाना एवं गैस सिलेण्डरो की 70 कैप एवं टूटी हुई सीले पाई गई। मौके पर पाये गए गैस सिलेण्डरो के पास एक हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाईकिल वाहन संख्या आर.जे.42 एसडी 0589 पाई गई जिसकी सीट पर लगेज केरियर फीट थी एवं जिसके लोहे के चार हुक लगे हुए थे। उक्त मोटरसाईकिल का प्रथम दुष्टया गैस सिलेण्डर लाने ले जाने के कार्य में प्रयुक्त होना प्रतीत हुआ। मौके पर ही गैस सिलेण्डरो की जांच करने पर हॉल में पाये गए 41 गैस सिलेण्डरो में से 15 घरेलू गैस सिलेण्डर (04 सील्ड एवं 11 अनसील्ड) एवं 26 अनसील्ड व्यावसायिक गैस सिलेण्डर होना पाये गए। मौके पर गैस सिलेण्डरो का प्रमाणित कांटे से वजन करने पर 15 घरेलू गैस सिलेण्डरो में से 05 सिलेण्डर खाली एवं 10 भरे होना पाया गया तथा 26 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरो में से 06 सिलेण्डर खाली एवं 20 सिलेण्डर भरे होना पाया गये उक्त कुल 41 गैस सिलेण्डरो में कुल 377.70 किग्रा एलपीजी भरा होना पाया गया । मौके पर प्रथम दृष्टया घरेलू गैस सिलेण्डरो से बांसुरी जुगाड के माध्यम से व्यावसायिक सिलेण्डरो में गैस रिफलिंग करना प्रमाणित हुआ। अभियुक्तो का यह कृत्य बिना सुरक्षा मानको के गैस रिफलिंग करना मानव जीवन के लिए घोर हानिकारक व जोखिमपूर्ण है, जिसमें किसी बड़ी दुर्घटना की प्रबल सम्भावना थी। वक्त जांच अवैध गैस रिफलिंग कार्य प्रमाणित पाये जाने पर हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाईकिल वाहन संख्या आर.जे.42 एसडी 0589 को कब्जेराज किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से थानाधिकारी, पुलिस थाना गांधीनगर, किशनगढ को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द की गई तथा मौके पर पाये कुल 41 गैस सिलेण्डर मय 377.70 किग्रा एलपीजी, एक जुगाड बांसुरी, 70 प्लास्टिक कैप

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

एवं टूटी हुई सीले एवं रिंच पाना को कब्जेराज कर जब्दी कार्यवाही की गई। इस प्रकार श्री विश्राम जाट व अन्य का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 के क्लॉज 4 (1)(a)(b))(c)(d))(2) 6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व 3/8 में दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुद्वा 41 गैस सिलेण्डर मय 377.70 किग्रा एलपीजी, एवं एक जुगाड बांसुरी, 70 प्लास्टिक कैप एवं टूटी हुई सीले एवं एक रिंच पाना को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस न्यायालय को कब्जे राज ली गई आवश्यक वस्तु (Essential Commidity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार प्राप्त है। चूंकि वाहन एक हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाईकिल वाहन संख्या RJ-42-SD-0589 जप्त किया गया है। एक हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाईकिल वाहन संख्या RJ-42-SD-0589 का उपयोग उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी, अवैध उपयोग के परिवहन हेतु किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जबकि वाहन स्वामी अमरचन्द पुत्र घीसालाल ने इस वाहन को सुपुर्दगी नामें पर दिए जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी अवैध गैस रिफलिंग के परिवहन हेतु हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाईकिल वाहन संख्या RJ-42-SD-0589 के अधिहरण के आदेश दिये जाते है इसी क्रम में न्यायहित में वाहन मालिक को वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहन के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक जुर्माने के संदाय करने का भी विकल्प दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी अजमेर को जब्त वाहन हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाईकिल वाहन संख्या RJ-42-SD-0589 को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश दिये जाते है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन के बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल अथवा प्रमाणित दस्तावेज जिला रसद अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगी में दिया जावें। राशि जमा नहीं कराने की दशा में वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार जर्ये नीलामी निस्तारण किया जावे। अतः अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 38/2023 न्यायालय हाजा द्वारा पारित इस अन्तिम आदेश के परिपेक्ष्य में उक्त सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहने, लारहीन हो जाने के कारण इसी स्तर पर इसी कदर से निस्तारित किया जाता हैं। मूल 6 ए प्रकरण मय सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल प्रकरण के संलग्न हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर,
अजमेर।